भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

23.07.2015 **को राज्य सभा में**

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 332

प्रयुक्त नाभिकीय ईंधन का पुन: प्रसंस्करण

332. **श्री ए. विलियम रबि बर्नार्ड:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या यह सच है कि जापान ने जापान-निर्मित रिएक्टरों में प्रयुक्त नाभिकीय ईंधन को पुन: प्रसंस्करित करने की अनुमति देने से संबंधित नीति में बदलाव किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

(ख) **क्या यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका सकारात्मक प्रभाव प्रस्तावित भारत-जापान असैन्य नाभिकीय करार पर पड़ सकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) तथा (ख) **सरकार ने इस संबंध में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं। जापान के साथ, असैन्य नाभिकीय सहकार करार के पाठ को अंतिम रूप देने के साथ-साथ, भुक्तशेष ईंधन के पुनर्संसाधन के मुद्दे पर बातचीत की जा रही है।**

****